न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेडा जिला–भीलवाडा (राज0)

केम्प करेडा

पीठासीन अधिकारीः–रजनी माधीवाल, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 28/2017 प्रार्थना पत्र

1. श्री शम्भूलाल पुत्र नानू सुथार निवासी आमदला तह. करेडा
2. श्री सम्पत पुत्र नानू सुथार निवासी आमदला तह. करेडा

–––प्रार्थीगण

बनाम

1. भैरूलाल पुत्र नन्दलाल सुथार निवासी आमदला तहसील करेडा
2. हजारी पुत्र गंगाराम सुथार निवासी आमदला तहसील करेडा
3. चुन्नी लाल पुत्र गंगाराम सुथार (फौत) के बजाय
   1. रामलाल पुत्र चुन्नीलाल सुथार निवासी आमदला तहसील करेडा
   2. जगदीश पुत्र चुन्नीलाल सुथार निवासी आमदला तहसील करेडा
   3. रोशन पुत्र चुन्नीलाल सुथार निवासी आमदला तहसील करेडा
4. मोहन पुत्र गंगाराम सुथार निवासी आमदला
5. ग्राम सेवा सहकारी समिति करेडा जरिये व्यवस्थापक
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेडा

–––विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अंतर्गत धारा 251–ए राज.टिनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थितः–

1– श्री मुरलीधर जोशी – अधिवक्ता–प्रार्थीगण

2– – अधिवक्ता–विपक्षी

:: निर्णय :: दिनांकः– 28.05.2018

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा0का0अधिनियम विरूद्ध विपक्षी पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जांच रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को उजरदारी पेश करने हेतु न्यायालय द्वारा सम्मन जारी किया गया। सम्मन बाद तामील शामिल मिसल है।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर आमदला पर पेश हुई। वादी शम्भुलाल एवं प्रतिवादी जगदीश , हजारी मोहन व पैरोकार सरकार उपस्थित। उपस्थित वादी एवं प्रतिवादीगणों ने प्रकरण को आज ही निर्णित करने की प्रार्थना की। तहसीलदार करेडा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगणों को अपनी चाह आराजी संख्या 2420 पर आने जाने के लिए आराजी नं0 2422 व 2421 में से रास्ता चाहता है । आराजी नं0 2422 व 2421 विपक्षी संख्या 1, 3 व 4 के नाम दर्ज रेकार्ड है। मौके पर चाह आराजी नं. 2420 पर आने–जाने हेतु आराजी नं0 2422 व 2421 में पगडण्डी बनी हुई है। पत्रावली, तहसीलदार करेडा के मौका रिपोर्ट, वकील वादीगणों की बहस पर चिंतन मनन किया गया। मौके पर चाह आराजी नं. 2420 पर आने–जाने हेतु आराजी नं0 2422 व 2421 में पगडण्डी बनी हुई है। जिससे प्रार्थीगणों द्वारा अपनी चाह आराजी पर आना जाना प्रतीत होता है। अतएव

आदेश

प्रार्थीगणों को अपनी चाह आराजी संख्या 2420 पर आने–जाने हेतु ग्राम आमदला पटवार हलका आमदला की आराजी संख्या 2422 में से 0.02 बीघा एवं 2421 में से 0.02 बीघा मेड के सहारे–सहारे दिये जाने के आदेश किए जाते है। प्रार्थीगणों द्वारा उक्तानुसार रास्ते हेतु भूमि का सबंधित विपक्षीगणों को भूमि की वर्तमान प्रचलित दर से दोगुनी राशि का उनके हिस्से अनुसार भुगतान करेंगे तथा उक्तानुसार दर्ज रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार करेडा आदेश अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद की कार्यवाही करें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2018 को विवृत कैम्प स्थल पर सुनाया गया।

(रजनी माधीवाल)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर करेडा

Scanned by CamScanner